



न्यायालय

## सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2020 / 00338(31 / 2020)

दर्ज तिथि:-02.09.2020

1. थानाराम पुत्र हेमाराम
2. केशराराम पुत्र मगाराम
3. हीराराम पुत्र मगाराम
4. पनीदेवी पत्नी मगाराम
5. राणाराम पुत्र लालाराम
6. सिगरती पत्नी लालाराम

जाति जाट निवासी बनाणियों की बेरी खारिया खुर्द तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. राजूराम पुत्र ईशाराम
2. खेमी देवी पत्नी ईशाराम
3. रामाराम पुत्र खेराजराम
4. गोसाईराम पुत्र खेराजराम
5. फूलीदेवी पत्नी खेराजराम
6. चम्पादेवी पत्नी प्रागाराम
7. मोटाराम पुत्र प्रागाराम
8. हरदानराम पुत्र प्रागाराम
9. रेखाराम पुत्र प्रागाराम
10. खंगाराम पुत्र प्रागाराम

जाति जाट निवासी बनाणियों की बेरी खारिया खुर्द तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

11. तहसीलदार सिणधरी।

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री भाखराराम गोदारा

प्रतिवादीगण:- श्री भंवरलाल सारण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955



—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:- 03.03.2024

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 234/4.8378 है0, 400/259/25.0386 है0, वाके ग्राम बनाणियों की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य वाद पत्र के साथ शामिल परिशिष्ट क में दर्शाये गये हरे रंग की भूमि को वादी के नाम तथा लाल रंग से दर्शित भूमि को प्रतिवादीगण के नाम करते हुए विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रैजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।
2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 के अतिरिक्त समस्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादीगण संख्या 01 ने जबाब दावा पेश किया।
3. प्रकरण में तनकीयात कायम किए गये। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए—

दस्तावेज	संवत् / विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खाता संख्या 3 आधार संवत् 2076-79 जमाबंदी-2076	प्रदर्श-01
नक्शा	खसरा संख्या 234, 400/259 वाके ग्राम बनाणियों की बेरी	प्रदर्श-02
	परिशिष्ट क	प्रदर्श-03
जमाबंदी	खाता संख्या 13 संवत् 2012-2031	प्रदर्श 04
जमाबंदी	खाता संख्या 04 संवत् 2053-2056	प्रदर्श 05
जमाबंदी	खाता संख्या 03 संवत् 2071-2074	प्रदर्श 06

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए-

नाम	जाति	निवासी
थानाराम पुत्र हेमाराम	जाट	बनाणियों की बेरी सिणधरी
हुकमाराम पुत्र टीकुराम	जाट	बनाणियों की बेरी सिणधरी
राणाराम पुत्र लालाराम	जाट	बनाणियों की बेरी सिणधरी

5. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए-

दस्तावेज	संवत / विवरण	प्रदर्श
	परिशिष्ट ख	प्रदर्श-01
---	फर्द मौका दिनांक 11.07.2020	प्रदर्श-02

6. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए-

नाम	जाति	निवासी
राजूराम पुत्र ईसराराम	जाट	बनाणियों की बेरी सिणधरी
खैराजाराम पुत्र निम्बाराम	जाट	बनाणियों की बेरी सिणधरी
मेहाराम पुत्र खीयाराम	जाट	बनाणियों की बेरी सिणधरी

7. तत्पश्चात् दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बहस पर दिनांक 02.09.2024 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू-धारक तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/94 दिनांक 17.02.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभिभाषकगण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/94 दिनांक 17.02.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p><b>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields.</b> - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 28.01.2025 को तहसीलदार नोखड़ा द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक 742-757 दिनांक 13.01.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 28.01.2025 के बारे में पूर्वसूचित</p>

बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।	किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक 742-757 दिनांक 13.01.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 28.01.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।
---	---

8. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2076-2079 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 234/4.8378 है0, 400/259/25.0386 है0, वाके ग्राम बनाणियों की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

9. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है:-

**प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:-** प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

**द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:-** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार हैं एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

**तृतीय- अपूरणीय क्षति:-** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार

पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

10. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजीखसरा संख्या 234/4.8378 है0, 400/259/25.0386 है0, वाके ग्राम बनाणियों की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
राजूराम चौधरी पुत्र ईशराराम हि0 1/2 खेमीदेवी पत्नी ईशराराम हि0 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार	बनोणियों की बेरी	234 400/259	1.1719 6.1397	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 7.3116 है0				
रेखाराम पुत्र प्रागाराम हि0 1/6 हरदानराम पुत्र प्रागाराम हि0 1/6 मोटाराम पुत्र प्रागाराम हि0 1/6 खंगाराराम पुत्र प्रागाराम हि0 1/6 चम्पादेवी पत्नी प्रागाराम हि0 1/6 गोसांईराम पुत्र खेराजराम हि0 1/18 रामाराम पुत्र खेराजराम हि0 1/18 फूलीदेवी पत्नी खेराजराम हि0 1/18 जाति जाट सा0 देह खातेदार	बनोणियों की बेरी	234 400/259 400/259	1.1720 2.0465 4.0931	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 7.3116 है0				
राणाराम पुत्र लालाराम हि0 1/2 सिगरतीदेवी पत्नी लालाराम हि0 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार	बनोणियों की बेरी	400/259	4.9067	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 4.9067 है0				

थानाराम पुत्र हेमाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	बनोणियों की बेरी	234 400 / 259	1.1720 3.7347	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 4.9067 है0				
हीराराम पुत्र मगाराम हि0 1/3 केशराराम पुत्र मगाराम हि0 1/3 पनीदेवी पत्नी मगाराम हि0 1/3 जाति जाट सा0 देह खातेदार	बनोणियों की बेरी	234 258 400 / 259	1.1719 0.0971 3.6379	बा0सो0 गै0मु0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 4.9069 है0				
राणाराम पुत्र लालाराम हि0 1/4 हीराराम पुत्र मगाराम हि0 1/4 खंगाराराम पुत्र प्रागाराम हि0 1/4 रामाराम पुत्र खेराजराम हि0 1/4	बनोणियों की बेरी	234 400 / 259	0.1500 0.4800	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 0.6300 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखड़ा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 03.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

सत्यमेव जयते

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)  
सहायक कलक्टर  
गुढामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

## सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2020 / 00338(31 / 2020)

दर्ज तिथि:-02.09.2020

1. थानाराम पुत्र हेमाराम
2. केशराराम पुत्र मगाराम
3. हीराराम पुत्र मगाराम
4. पनीदेवी पत्नी मगाराम
5. राणाराम पुत्र लालाराम
6. सिगरती पत्नी लालाराम

जाति जाट निवासी बनाणियों की बेरी खारिया खुर्द तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. राजूराम पुत्र ईशाराम
2. खेमी देवी पत्नी ईशाराम
3. रामाराम पुत्र खेराजराम
4. गोसाईराम पुत्र खेराजराम
5. फूलीदेवी पत्नी खेराजराम
6. चम्पादेवी पत्नी प्रागाराम
7. मोटाराम पुत्र प्रागाराम
8. हरदानराम पुत्र प्रागाराम
9. रेखाराम पुत्र प्रागाराम
10. खंगाराम पुत्र प्रागाराम

जाति जाट निवासी बनाणियों की बेरी खारिया खुर्द तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

11. तहसीलदार सिणधरी।

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री भाखराराम गोदारा

प्रतिवादीगण:- श्री भंवरलाल सारण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

**-:पर्चा डिक्री:-**

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजीखसरा संख्या 234/4.8378 है0, 400/259/25.0386 है0, वाके ग्राम बनाणियों की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
राजूराम चौधरी पुत्र ईशाराम हि0 1/2 खेमीदेवी पत्नी ईशाराम हि0 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार	बनोणियों की बेरी	234 400/259	1.1719 6.1397	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 7.3116 है0				
रेखाराम पुत्र प्रागाराम हि0 1/6 हरदानराम पुत्र प्रागाराम हि0 1/6 मोटाराम पुत्र प्रागाराम हि0 1/6 खंगाराराम पुत्र प्रागाराम हि0 1/6 चम्पादेवी पत्नी प्रागाराम हि0 1/6 गोसाईराम पुत्र खेराजराम हि0 1/18 रामाराम पुत्र खेराजराम हि0 1/18 फूलीदेवी पत्नी खेराजराम हि0 1/18 जाति जाट सा0 देह खातेदार	बनोणियों की बेरी	234 400/259 400/259	1.1720 2.0465 4.0931	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 7.3116 है0				
राणाराम पुत्र लालाराम हि0 1/2 सिगरतीदेवी पत्नी लालाराम हि0 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार	बनोणियों की बेरी	400/259	4.9067	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 4.9067 है0				
थानाराम पुत्र हेमाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	बनोणियों की बेरी	234 400/259	1.1720 3.7347	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 4.9067 है0				
हीराराम पुत्र मगाराम हि0 1/3 केशराराम पुत्र मगाराम हि0 1/3 पनीदेवी पत्नी मगाराम हि0 1/3 जाति जाट सा0 देह खातेदार	बनोणियों की बेरी	234 258 400/259	1.1719 0.0971 3.6379	बा0सो0 गै0मु0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 4.9069 है0				
रणाराम पुत्र लालाराम हि0 1/4 हीराराम पुत्र मगाराम हि0 1/4 खंगाराराम पुत्र प्रागाराम हि0 1/4 रामाराम पुत्र खेराजराम हि0 1/4	बनोणियों की बेरी	234 400/259	0.1500 0.4800	बा0सो0 बा0सो0

कुल किता 02 रकबा 0.6300 है0

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 03.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)  
सहायक कलक्टर  
गुढामालानी-बाड़मेर



सत्यमेव जयते

गुढामालानी